

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

रामरतन सौंकरिया

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

आर.ए.एस.

58/2024/प्रा.पत्र/2024

13.08.2024

तारीख निर्णय

10.10.2024

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियन्त्रण, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

- 1-श्री हरीश कुमार सिन्धी पुत्र श्री सतराम दास सिन्धी निवासी जय हनुमान कॉलोनी बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक एफ.बी.ओ. मैसर्स आनन्द पवित्र भोजनालय बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड-304502 मो0न0 9314134491  
2-मैसर्स आनन्द पवित्र भोजनालय बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक राज0। पिनकोड-304502

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अप्रार्थी श्री हरीश कुमार सिन्धी स्वयं उपस्थित।

**:-निर्णय:-**

दिनांक 10.10.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.05.2024 को समय 03:45 पीएम पर मैसर्स आनन्द पवित्र भोजनालय बस स्टैण्ड मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रता के हैसियत से श्री हरीश कुमार सिन्धी पुत्र श्री सतराम दास सिन्धी अपने प्रतिष्ठान मैसर्स आनन्द पवित्र भोजनालय बस स्टैण्ड पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री हरीश कुमार सिन्धी पुत्र श्री सतराम दास सिन्धी को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर ने श्री हरीश कुमार सिन्धी पुत्र श्री सतराम दास सिन्धी ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एक मात्र मालिक/प्रोपरायटर होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु प्रतिष्ठान में डीप फ्रीजर में एक भगोन में लगभग 15 किलोग्राम पनीर रखा हुआ था जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व






पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस पनीर का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया पनीर का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51(सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 10.10.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय दिनांक 10.10.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(साबरन)   
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
आतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0